श्रेष्ठ सुप्रभात

आदमी किसी भी संप्रदाय में रहे, किसी को भी माने, पर सच्चाई का पक्षधर रहे। सच्चाई का स्थान संप्रदाय से भी ऊपर है।

-आचार्य महाश्रमण

NEXT™
NEWS EXCELLENT TODAY

तापमान (डिग्री सेल्सियस)

	अधिकतम	न्यूनतम
श्रीडूंगरगढ़	25.0	11.0
बीकानेर	24.0	10.0
जयपुर	25.0	10.0

E- Paper NEXT 0039

newsexcellenttoday.com   19 जनवरी 2025, रविवार   माघ, कृष्ण पक्ष पंचमी - 2081

नवनियुक्त थानाधिकारी जितेन्द्र कुमार ने कार्यभार संभालते ही यातायात व्यवस्था सुधारने का लिया संकल्प, किया बाजार का दौरा

NEXT | श्रीडूंगरगढ़

नवनियुक्त थानाधिकारी जितेंद्र स्वामी ने कार्यभार संभालते ही इलाके में यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने घूमचक्कर से लेकर मुख्य बाजार तक क्षेत्र का निरीक्षण किया और सड़कों पर खड़े वाहनों और अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश दिए।

सड़क सामान रखने के लिए नहीं, चलने के लिए है

थानाधिकारी ने वाहन चालकों को समझाइस करते हुए कहा कि वे अपने वाहन सड़कों पर बीच में खड़े न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिया कि वे दुकानों के बाहर सामान न रखें और अतिक्रमण से बचें।

उन्होंने कहा कि सड़कों का उपयोग वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए होता है, न कि सामान रखने के लिए। यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही ठोस निर्णय लिए जाएंगे, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

थानाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने महत्त्वपूर्ण बदलाव करते हुए जितेंद्र स्वामी को श्रीडूंगरगढ़ थाने का नया थानाधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया।

कानून व्यवस्था सुदृढ़ और जनता के साथ समन्वय

जितेंद्र स्वामी ने कार्यभार ग्रहण करते ही क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के साथ बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

आमजन में विश्वास बढ़े, साथ में सहयोग की अपील

थानाधिकारी स्वामी ने क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाया कि पुलिस हरसंभव मदद के लिए तत्पर रहेगी। उन्होंने अपील की कि क्षेत्र की जनता भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करे।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने थाने के पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की और सभी को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

डॉ. पुखराज साद होंगे बीकानेर के नए CMHO

NEXT | श्रीडूंगरगढ़

बीकानेर जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के पद पर डॉ. पुखराज साद को नियुक्त किया गया है। इससे पहले डॉ. साद पीबीएम अस्पताल में कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे। यह नियुक्ति हाल ही में जारी स्वास्थ्य विभाग की तबादला सूची के तहत की गई है, जिसमें 25 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है और 12 जिलों में नए CMHO की नियुक्ति की गई है।

एक वर्ष में तीन CMHO बदले

बीकानेर में पिछले एक वर्ष में यह तीसरी बार है जब CMHO बदले गए हैं। भाजपा सरकार बनने तक डॉ. अबरार पंवार इस पद पर थे। सरकार बदलने के बाद डॉ. मोहित सिंह को CMHO बनाया गया, लेकिन एक बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद डॉ. राजेश गुप्ता को अस्थायी रूप से इस पद का प्रभार सौंपा गया, जिन्होंने करीब दस महीने तक कार्य किया।

स्थायी CMHO की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। डॉ. पुखराज साद का चयन कई वरिष्ठ डॉक्टरों के नामों पर विचार के बाद किया गया। उनके अनुभव और विशेषज्ञता को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है।

राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) का 62वां प्रांतीय अधिवेशन सम्पन्न

NEXT | श्रीडूंगरगढ़

राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) का 62वां प्रांतीय अधिवेशन 17 एवं 18 जनवरी को आयोजित किया गया, जिसमें राज्यभर से भारी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया।

शिक्षक नेता जयप्रकाश कस्वां ने बताया कि अधिवेशन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख रूप से अध्यापकों की स्थानांतरण नीति, पदोन्नति, वेतन विसंगति और पुरानी पेंशन व्यवस्था को यथावत रखने के विषय शामिल थे।

शिक्षक नेताओं ने इन मुद्दों पर सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए

NEXT | श्रीडूंगरगढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में स्वामित्व योजना के तहत देशभर के 50 हजार गांवों में 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बीकानेर के रवींद्र रंगमंच पर किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में 50 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीणों को उनकी भूमि का कानूनी दस्तावेज प्रदान किया है। उन्होंने इसे ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

तकनीकी युग का लाभ

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग का है और सरकार इन तकनीकों का उपयोग कर आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है। भूमि के कानूनी दस्तावेज न होने से होने वाली कठिनाइयों का अध्ययन कर स्वामित्व योजना को लागू किया गया है।

जनप्रतिनिधियों ने की सराहना

श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत और खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ने इसे सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के

अध्यक्ष राम गोपाल सुथार ने योजना को समाज को मुख्यधारा से जोड़ने वाला कदम बताया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने इस आयोजन का हिस्सा बनकर अपने प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त किए।

भूमि विवाद के सम्बंध में जाने प्रक्रिया को

आज आपको भूमि या जल से सम्बंधित विवादों से जहां शांति भंग होने की संभावना होती है, इसके बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार इसमें क्या प्रक्रिया है।

एडवोकेट दीपिका करनाणी NEXT

NEXT | श्रीडूंगरगढ़

धारा 164 के अनुसार इसमें बताया गया है कि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना पर यह ज्ञात हो कि उसके अधिकार क्षेत्र के किसी भूमि या जल पर विवाद के कारण परिशांति भंग होने की आशंका है या संभावना है। यानी उस जल या भूमि के लिए दो पक्षों के मध्य मारपीट/मारकाट होने की संभावना है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकृत मजिस्ट्रेट सभी पक्षों को एक नोटिस जारी करेगा कि आप भूमि या जल के कब्जे के संबंध में अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें।

उसके बाद, नोटिस की तामील होने के बाद संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनेगा, साक्ष्य लेगा, गौर करेगा और उसके बाद तय करेगा कि इस संपत्ति पर किस व्यक्ति का कब्जा कानूनी रूप से है या नहीं है। जिसका कब्जा साबित होता है, उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या अधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा कब्जा घोषित कर दिया जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि इस धारा में भूमि शब्द के अंतर्गत कोई निर्माण, घर, फसल आदि शामिल है।इस धारा में कब्जे के बारे में विवाद तय होता है, न कि मालिकाना हक के बारे में।

अगर किसी व्यक्ति ने भूमि या अचल संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो मजिस्ट्रेट यह तय करेगा कि उसे प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के पूर्व तक किसका कब्जा था, मजिस्ट्रेट उसे ही कब्जा सौंपेगा। यानि अगर कोई जबरदस्ती कब्जा कर लेता है तो मजिस्ट्रेट उस कब्जे को हटाने का आदेश दे देगा। और जिसका पहले कब्जा था उसे कब्जा सौंप देगा।

क्रमशः

सोलर कंपनियों द्वारा खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश

NEXT | श्रीडूंगरगढ़

बीकानेर जिले में सोलर कंपनियों द्वारा राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी है। शुक्रवार देर शाम सूचना मिली कि गोसाईसर की रोही में किसी निजी खेत में पेड़ काटे गए हैं। मौके पर जंभेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा टीम के सदस्य बजरंग लाल, अशोक, सागरमल, बंसीलाल, मांगीलाल, आदेश, धनाराम, भगवाराम, रामकुमार और अमित पहुंचे। सूचना पर राजस्व विभाग के गिरदावर श्यामलाल सुथार, हलका पटवारी ओमप्रकाश मांझु और नापासर थाना के सिपाही भी मौके पर पहुंचे। वहां 20 खेजड़ी के विशाल पेड़, 2 छोटी खेजड़ी की झाड़ियां और 7 अन्य बबूल आदि के पेड़ कटे हुए पाए गए।

NEXT के लोगो, सोशल साइट के सिंबल और खबर पर क्लिक करते ही साइट ओपन होती है। तो जुड़े रहिए NEXT के साथ